R.C.T. No. 79/2020
State of M.P. V/s Babulal

न्यायालय–दिव्या श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

Registration No. 79/2020
Filing No.325/2020
C.N.R. No. MP0907-000348-2020
Filing Date.06-03-2020

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा, जिला इंदौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री इसराम गाडरिया (ए.डी.पी.ओ.)
अभियुक्त	बाबूलाल पिता बलीराम, जाति कलौता, उम्र–38 वर्ष, निवासी–ग्राम चांदेर, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर(म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री एम.डी.बैरागी अधिवक्ता
अपराध की तिथि	03.02.2020
प्र.सू.रि. की तिथि	03.03.2020
आरोप–पत्र की तिथि	06.03.2020
आरोपों के विरचना की तिथि	09.04.2020
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	26.04.2021
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	06.08.2025
निर्णय की तिथि	06.08.2025
दंडादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

Sd/-
06.08.25

(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

03.
04.
05.

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
01.	बाबूलाल	धारा 41क दप्रसं. का सूचना पत्र	06.03.20	279 एवं 338 भादसं.	दोषमुक्त	कुछ नहीं	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायलयीन साक्षियो की सूची:–

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
01.	कैलाश (अ.सा.–01)	चक्षुदर्शी साक्षी
02.	रोहित पंवार (अ.सा.–02)	चक्षुदर्शी साक्षी
03.	बलवीर सिंह (अ.सा.–03)	अनुसंधान अधिकारी
04.	दरबार सिंह (अ.सा.–04)	अनुसंधान साक्षी

ख – बचाव साक्षियों की सूची :– निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षियों की सूची :– निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:–

क. अभियोजन :–

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी 01 / अ.सा.–02	रोहित पंवार का पुलिस कथन
02.	प्रदर्श पी 02	प्रपी–2 के रूप में प्रदर्शित नहीं कराया गया।

Sandiv
06.08.21
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू. 9742 को उतावलेपन या उपेक्षा चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत अंतरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से आहत अंतरसिंह की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.सी–1, प्र.सी–2 एवं एक्स–रे प्लेट आर्टीकल ए–1 को स्वीकार किया गया है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि बलवीरसिंह यादव थाना गौतमपुरा जिला इंदौर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे तभी थाना गौतमपुरा पर थाना सराफा जिला इंदौर का रोजनामचा सान्हा क्रमांक 47/2020 दिनांक 03.02.2020 थाने पर प्राप्त हुआ था जो उसे जांच हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा साक्षी रोहित, दरबारसिंह, शोदानसिंह, एवं आहत अंतरसिंह के कथनों एवं घायल अंतरसिंह के मेडिकल रिकार्ड संपूर्ण सान्हा जांच में पाया गया कि आहत अंतरसिंह घटना दिनांक 03.02.2020 को मेढकवास चौराहे पर बस से उतर कर रोड़ किनारे अपनी साईड से उसके घर जा रहा था तभी देपालपुर की तरफ से मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू 9742 का चालक उसकी मोटरसायकल को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और अन्तरसिंह को टक्कर मारी जिससे अन्तरसिंह रोड पर गिर गया। घटना में अन्तरसिंह को सिर, पैर, शरीर में चोट आई। आहत अंतरसिंह को ईलाज हेतु यूनिक अस्पताल इंदौर भर्ती कराया गया था, जहां से मेडिकल रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। अंतरसिंह को दाहिने पैर में फ्रेक्चर होना पाया गया। मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू.9742 के चालक के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भादसं. का पाया जाने से कायमी कर मामला विवेचना में लिया गया गया।

04. अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा के अपराध क्र.42/2020 अंतर्गत् धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान आहत की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त बाबूलाल से मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू 9742 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। जप्तशुदा उक्त वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। वाहन मालिक को धारा 133 मोटरयान अधिनियम के तहत् नोटिस दिया गया। आहत अंतरसिंह के बेड हेड टिकट व एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त करने पर अस्थिभंग पाये जाने से प्रकरण में धारा 338 भा.द.स. का ईजाफा किया गया। अन्वेषण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध

Sandiv
06.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

05. विचारण के दौरान अभियुक्त को धारा 279, 337 व 338 भा.दं.सं. के अंतर्गत उक्त आरोप में आरोप पत्र विरचित किये गये, अभियुक्त द्वारा अपराध कारित ना किया जाना व्यक्त किया गया एवं विचारण चाहा गया। अभियुक्त के परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.स. में अभियुक्त द्वारा व्यक्त किया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में प्रवेश कराये जाने पर बचाव साक्ष्य ना देना व्यक्त किया।

06. प्रकरण के विधिपूर्ण निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु न्यायालय के समक्ष विद्यमान है–

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.02.2020 को समय 1:30 बजे या उसके लगभग ग्राम गेढकवास जो कि थाना गौतमपुरा से 03 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में अपने आधिपत्य का वाहन मोटरसायकल कमांक एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू. 9742 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया?

02. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत अंतरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

03. दोषसिद्धी एवं दण्डादेश यदि कोई ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

07. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के प्रावधानों के अनुसार उक्त विचारणीय प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर है, जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी कैलाश (अ.सा.–01), रोहित पंवार (अ.सा.–02), अनुसंधान अधिकारी बलवीरसिंह (अ.सा.–3) एवं अन्य साक्षी दरबारसिंह (अ.सा.–4) के कथन कराये है।

:: विचारणीय बिंदु क्र.1 लगायत 3 का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ::

08. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के तथ्य अंतर्मिश्रित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति का निवारण करने हेतु तथा सभी विचारणीय बिंदु का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा आहत अंतरसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.सी–1, प्र.सी–2 एवं एक्स–रे प्लेट आर्टीकल ए–1 को स्वीकार किया गया है एवं उक्त स्वीकारोक्ति के पूर्व अभियुक्त को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त

Sanjiv
06.08.25

(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

मेडिकल रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के बाद उसके विरूद्ध पडा जायेगा। इस ... में विधिक परिस्थिति को भी बता दिया गया था, जो कि इस प्रकार है ...

"Defence admitted the genuineness of the injury reports and the post mortem examination reports before the trial court. The genuineness and authenticity of the documents stands proved and shall be treated as valid evidence under Section 294 of the CrPC. It is settled position of law that if the genuineness of any doument filed by a party is not disputed by the opposite party it can be read as substantive evidence under sub-secton(3) of Section 294 Crpc. Accordingly, the post mortem report, if its genuineness is not disputed by the opposite party, the said post-mortem report can be read as substantive evidence to prove the correctness of its contents without the doctor concerned being examined. **2009 AIR SCW 3831=AIR 2009 SC (Supp) 1676 (Akhtar v. State of Uttarachal). Contra** 1980 JLJ 5015. 294(3) covers the P.M. report and every other document of which genuineness is not disputed and all such documents can be read in evidence without the formal proof of such documents by examining the author thereof. **2003 Cr. L.J. 1031 (FB) (Karnataka) (Boraiah alias Shekar, Appellants v. State)**"

09. उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त की ओर से आहत अंतरसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.सी–1 व प्र.सी–2 एवं एक्स–रे प्लेट आर्टीकल ए–1 को धारा 294 दप्रसं. के अधीन स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दशा में अभिलेख पर आहत अंतरसिंह के साथ सड़क दुर्घटना के सबंध में उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। उक्त दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य की एक–दूसरे के कथन का समर्थन करते है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी दुर्घटना कारित होने के सबंध में उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य का कोई खंडन नहीं किया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अंतरसिंह के साथ सड़क दुर्घटना कारित हुयी व सड़क दुर्घटना में वाहन से टक्कर लगने से उसे घोर उपहति कारित हुई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या घटना दिनांक को आहत अंतरसिंह को कारित उपहति अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल क्र.एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू. 9742 को लोकस्थान पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ढ़ंग से चलाने के परिणामस्वरूप कारित हुई ?

Sandiv
06.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

मेडिकल रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के बाद उसके विरूद्ध पडा जायेगा। इस संबंध में विधिक परिस्थिति को भी बता दिया गया था, जो कि इस प्रकार है कि "Defence admitted the genuineness of the injury reports and the post mortem examination reports before the trial court. The genuineness and authenticity of the documents stands proved and shall be treated as valid evidence under Section 294 of the CrPC. It is settled position of law that if the genuineness of any doument filed by a party is not disputed by the opposite party it can be read as substantive evidence under sub-secton(3) of Section 294 Crpc. Accordingly, the post mortem report, if its genuineness is not disputed by the opposite party, the said post-mortem report can be read as substantive evidence to prove the correctness of its contents without the doctor concerned being examined. **2009 AIR SCW 3831=AIR 2009 SC (Supp) 1676 (Akhtar v. State of Uttarachal). Contra** 1980 JLJ 5015. 294(3) covers the P.M. report and every other document of which genuineness is not disputed and all such documents can be read in evidence without the formal proof of such documents by examining the author thereof. **2003 Cr. L.J. 1031 (FB) (Karnataka) (Boraiah alias Shekar, Appellants v. State)"**

09. उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त की ओर से आहत अंतरसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.सी–1 व प्र.सी–2 एवं एक्स--रे प्लेट आर्टीकल ए--1 को धारा 294 दप्रसं. के अधीन स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दशा में अभिलेख पर आहत अंतरसिंह के साथ सड़क दुर्घटना के सबंध में उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। उक्त दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य की एक–दूसरे के कथन का समर्थन करते है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी दुर्घटना कारित होने के सबंध में उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य का कोई खंडन नहीं किया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अंतरसिंह के साथ सड़क दुर्घटना कारित हुयी व सड़क दुर्घटना में वाहन से टक्कर लगने से उसे घोर उपहति कारित हुई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या घटना दिनांक को आहत अंतरसिंह को कारित उपहति अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल क्र.एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू 9742 को लोकस्थान पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ढ़ंग से चलाने के परिणामस्वरूप कारित हुई ?

Sandip
06.08.'25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

10. अभियोजन साक्षी/आहत अंतरसिंह की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में उसकी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी है। अभियोजन साक्षी कैलाश (अ.सा.–1), रोहित पंवार (अ.सा.–2) द्वारा समान कथन करते हुये यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह अभियुक्त को नहीं पहचानता और सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। साक्षी कैलाश (अ.सा.–1) द्वारा यह कथन किया है कि आहत अंतरसिंह उसके पिता हैं एवं घटना के संबंध में उसे उसके रिश्तेदारों ने फोन पर बताया था कि आहत अंतरसिंह के साथ सड़क दुर्घटना ग्राम मेढकवास पर हुई थी। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसे उसके रिश्तेदार ने यह नहीं बताया था कि सडक दुर्घटना किस गाडी से हुई थी एवं किसके द्वारा आहत अंतरसिंह को टक्कर मारी थी। अभियुक्त की ओर से साक्षी के उपरोक्त कथन का खंडन नहीं किया गया है।

11. साक्षी रोहित पंवार (अ.सा.–2) द्वारा यह अभिसाक्ष्य दी है कि घटना वर्ष 2020 की होकर दोपहर के समय की है। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक को अंतरसिंह के साथ दुर्घटना हुई थी जिससे उसे हाथ व पैरों में चोट आई थी। साक्षी द्वारा यह अभिकथन किया है कि उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। पूर्व कथन से विसंगत होने पर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी द्वारा अपने पुलिस कथन प्रपी–1 से इंकार किया। अभियोजन साक्षी दरबारसिंह (अ.सा.–4) द्वारा अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है व आहत अंतरसिंह को पहचानना व्यक्त किया है। साक्षी द्वारा यह कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि घटना सुबह की थी अथवा शाम की। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे बस यह याद है कि आहत अंतरसिंह के साथ सड़क दुर्घटना हुई थी एवं पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। पूर्व कथन से विसंगत होने पर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी द्वारा अपने पुलिस कथन प्रपी–10 व 11 से इंकार किया है। अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि घटना किस वाहन से हुई थी। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि पुलिस ने उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे।

12. अभियोजन साक्षी बालवीर सिंह यादव (अ.सा.–3) द्वारा यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह दिनांक 06.02.2020 को आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे एवं उन्होंने आरक्षी केन्द्र सराफा जिला इंदौर का लेखीय आवेदन प्रपी–3 एवं प्रपी–4 का रोजनामचा सान्हा कमांक 47 दिनांक 03.02.2023 का अग्रिम जांच हेतु एमएलसी सहित प्राप्त हुआ था। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उक्त रोजनामचा सान्हा की जांच के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने पर एवं आहत अंतरसिंह की चिकित्सीय जांच से मोटरसायकल कमांक एम.पी.09 व्ही. डब्ल्यू 9742 के चालक के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 भादंसं. की प्रथम

Sandiv
06.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

सूचना रिपोर्ट प्रपी–5 पंजीबद्ध की थी एवं आहत अंतरसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी–6 तैयार किया था। आहत व अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि अन्वेषण के दौरान मोटरसायकल कमांक एम.पी.09 व्ही. डब्ल्यू 9742 के वाहन स्वामी को धारा 133 मो.या. अधिनियम का सूचना पत्र प्रपी–7 प्रेषित कर वाहन चालक की जानकारी प्राप्त की थी जिसमें वाहन स्वामी द्वारा यह बताया गया था कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर घटना में प्रयुक्त वाहन वह स्वयं चला रहा था। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उक्त दस्तावेजों को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी–8 तैयार किया था। अभियुक्त को धारा 41 दप्रसं. का सूचना पत्र प्रेषित किया था। जप्तशुदा वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गई थी एवं संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान उनके द्वारा प्रकरण में रवानगी व वापसी सान्हा प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि प्रपी–4 के रोजनामचा सान्हा में वाहन स्वामी अभियुक्त एवं वाहन का नंबर का उल्लेख नहीं है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा अभियुक्त की पहचान की कार्यवाही नहीं की गई थी। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि घटनास्थल मुख्य मार्ग वाला रोड है जहां पर छोटे–बडे वाहन का आवागमन होता रहता है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि प्रपी–3 व 4 में साक्षी रोहित पंवार के अतिरिक्त किसी भी साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं है। अन्य सभी सुझाव से साक्षी द्वारा इन्कार किया गया है।

13. उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन साक्षी कैलाश (अ.सा.–1), रोहित पंवार (असा–2) एवं दरबारसिंह (अ.सा.–4) द्वारा अभियुक्त की पहचान नहीं की है, उनके द्वारा घटना के संबंध में कोई जानकारी ना होना बताया। उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में घटना में प्रयुक्त वाहन का नंबर भी नहीं बताया है और ना ही ऐसा कोई कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा आहत अंतरसिंह को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की थी। आहत अंतरसिंह की मृत्यु हो जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–5 की पुष्टि नहीं हो सकी है। उपरोक्त समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त की पहचान स्थापित नहीं हो सकी है। धारा 279 भादसं. एवं धारा 338 भादसं. के अपराध को प्रमाणित करने के लिये आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया हो एवं आहत को घोर उपहति कारित की। यद्यपि पूर्व विवेचन से यह प्रमाणित है कि आहत अंतरसिंह के साथ घटना दिनांक, समय व स्थान पर सड़क दुर्घटना हुई थी जिससे उसे घोर उपहति कारित हुई थी परंतु आहत अंतरसिंह की साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त की

Sandeep
06.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

पहचान स्थापित नहीं हुई है। ऐसी दशा में उपरोक्त साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक घटना में प्रयुक्त वाहन को चलाकर आहत अंतरसिंह को घोर उपहति कारित की।

14. अतः उपरोक्त समस्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.02.2020 को समय 1:30 बजे या उसके लगभग ग्राम मेढकवास जो कि थाना गौतमपुरा से 03 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में अपने आधिपत्य का वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 व्ही. डब्ल्यू. 9742 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत अंतरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

:: विचारणीय बिंदु क्र.04 व अंतिम आदेश ::

15. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के उपरांत अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.02.2020 को समय 1:30 बजे या उसके लगभग ग्राम मेढकवास जो कि थाना गौतमपुरा से 03 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में अपने आधिपत्य का वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू. 9742 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत अंतरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की। अतः **धारा 279 एवं 338 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप से अभियुक्त **बाबूलाल** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

16. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत समस्त प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकल क्र. एम.पी.09 व्ही.डब्ल्यू.9742 को मय दस्तावेजों के उसके वाहन स्वामी/सुपुर्ददार बाबूलाल पिता बलीराम निवासी–ग्राम चांदेर, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, म.प्र. को अंतरिम सुपुर्दगी में दिया गया है। उक्त वाहन व दस्तावेज का अन्य कोई दावेदार नहीं होने से उक्त अंतरिम अभिरक्षा के आदेश को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 452 के अंतर्गत अंतिम मानते हुए सुपूर्ददार को अंतिम अभिरक्षा में दिया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संपत्ति का व्ययन किया जावे।

Sd/-
06.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

18. अभियुक्त एक भी दिन न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त निरोध अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अधीन प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

06.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर

मेरे निर्देशन पर टंकित।

06.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर